

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना

उद्देश्य:

- एमएसई की स्थिरता और विकास का समर्थन करना सुधार जैसे सामान्य मुद्दों को संबोधित करना प्रौद्योगिकी, कौशल एवं गुणवत्ता, बाजार पहुंच आदि।
- एमएसई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन करना ।
- केंद्र स्थापित करना (परीक्षण, प्रशिक्षण, कच्चे माल का डिपो, अपशिष्ट उपचार, पूरक उत्पादन प्रक्रियाएं, आदि)।
- हरित एवं टिकाऊ विनिर्माण को बढ़ावा देना क्लस्टरों के लिए प्रौद्योगिकी।

मुख्य लाभ

- प्लग एंड सहित सामान्य सुविधा केंद्रों का निर्माण खेल सुविधाएं.
- बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए समर्थन, जिसमें शामिल हैं फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

- मौजूदा उद्यमी [विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में]।

विस्तार में जानकारी:

- सामान्य सुविधा केंद्र: सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण केंद्र, डिज़ाइन केंद्र, प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित परीक्षण सुविधाओं जैसी "मूर्त परिसंपत्तियों" का निर्माण। भारत सरकार की सहायता: अधिकतम परियोजना लागत 30 करोड़ रुपये का 80% तक।
- अवसंरचना विकास: नए/मौजूदा औद्योगिक (बहु-उत्पाद) क्षेत्रों/सम्पदाओं/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में भूमि, सड़क, जल निकासी, विद्युत वितरण आदि का विकास। भारत सरकार की सहायता: अधिकतम परियोजना लागत 15 करोड़ रुपये के 70% तक।

आवेदन कैसे करें:

- आवेदन करें: <https://cluster.dcmsme.gov.in>